भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
20, अशोक रोड़, संचार भवन
नई दिल्ली 110001 भारत

कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा का प्रावधान करने हेतु लाइसेंस करार

------------------------------ सेवा क्षेत्र में

सं0 -------------------------------- दिनांक --------------------------------

कुल पृष्ठ ---------------------------------

कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा
हेतु लाइसेंस करार

यह करार भारत के राष्ट्रपति द्वारा ---------------- दिन --------------(महीना) ------------- (वर्ष) को श्री --------------------- (नाम), निदेशक (सीएस I), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001 (जिसे इसके बाद लाइसेंसदाता कहा जाएगा) के माध्यम से प्रथम पक्ष

तथा

श्री ---------------------------------- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके बाद लाइसेंसधारी कहा जाएगा जिसका आशय, जब तक कि विषय वस्तु से अन्यथा कुछ भिन्न न हो, व्यवसाय में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासकों, परिसमापकों और समनुदिशितों या कानूनी प्रतिनिधियों से भी होगा) के माध्यम से मैसर्स ----------------------- जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ----------------------------- में है, के बीच किया गया है ।

जबकि भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा (4) के उपबंधों के तहत लाइसेंसदाता को लाइसेंस प्रदान करने का विशेषाधिकार है और लाइसेंसधारक ने कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है । इसके पश्चात और उक्त अनुरोध के अनुसरण में लाइसेंसदाता इस करार में संलग्न अनुसूची-। में और अधिक स्पष्ट रूप से उल्लिखित लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्रों में कैप्टिव उपयोग के लिए मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा उपलब्ध कराने हेतु कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है ।

अब यह करार निम्न के साक्ष्य स्वरूप है :

1. लाइसेंस शुल्क के भुगतान तथा इस लाइसेंस करार में उल्लिखित सभी शर्तों का लाइसेंसधारक द्वारा उपयुक्त निष्पादन किए जाने के मद्देनजर लाइसेंसदाता भारतीय तार अधिनियम 1855 की धारा 4 के तहत, गैर-अनन्य आधार पर इस करार में संलग्न अनुसूची-। में उल्लिखित लाइसेंस सेवा क्षेत्र में मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा को स्थापित एवं प्रचालित करने हेतु इस लाइसेंस को प्रदान करता है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त लाइसेंस प्रभावी तिथि से 20 (बीस) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा, यदि पहले किसी भी कारणवश रद्द नहीं किया गया हो ।

3. लाइसेंसधारक इस लाइसेंस करार में तथा इसके साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न अनुसूची-।। में उल्लिखित सभी शर्तों को बिना किसी परिवर्तन या आपत्ति के पूर्णतः अनुपालन करने के लिए एतद्द्वारा सहमत है तथा स्पष्ट रूप से वचन देता है ।

4. इस लाइसेंस की प्रभावी तिथि ---------------------- होगी ।

5. यह लाइसेंस समय-समय पर यथा आशोधित भारतीय तार अधिनियम, 1885, भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार शासित होगा ।

जिसके साक्ष्यस्वरूप दोनों पक्ष ---------------------- (दिन) ------------------(महीना) -------------- (वर्ष) को अपने-अपने संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस करार को एतद्द्वारा निष्पादित करती है ।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से हस्ताक्षरित

के द्वारा

(नाम और पदनाम)

मैसर्स --------------------------------
की ओर से हस्ताक्षरित

के द्वारा

(नाम और पदनाम),

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा मुख्तार नामा आम दिनांक ---------- के स्वामी द्वारा, निदेशक मंडल द्वारा पारित दिनांक ---------------- के संकल्प सं0 -------------------- के अनुसरण में ।

निम्न की उपस्थिति में :

1. हस्ताक्षर
   नाम
   व्यवसाय　　　पता　　　स्थान

1. हस्ताक्षर
   नाम
   व्यवसाय　　　पता　　　स्थान

605

विषय-सूची

अनुसूची- I	**सेवा क्षेत्र की अनुसूची**	**पृष्ठ संख्या**
अनुसूचीः II	**निबंधन और शर्तें**	

भाग-। सामान्य शर्तें

शर्त 1: लाइसेंस का क्षेत्र
शर्त 2: लाइसेंस की अवधि
शर्त 3: लाइसेंस की शर्तों में आशोधन
शर्त 4: लाइसेंस के अंतरण पर प्रतिबंध
शर्त 5: सेवा प्रदान करना
शर्त 6: सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता
शर्त 7 लाइसेंस का निलंबन, रद्दीकरण अथवा समाप्ति
शर्त 8: लाइसेंस को समाप्त करने के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई
शर्त 9: बाध्यकारी उपाय
शर्त 10: सेट ऑफ क्लॉज
शर्त 11: सामान्य

भाग ।। वाणिज्यिक शर्तें
शर्त 12 : टेलीफोन सेवा निर्देशिका का प्रकाशन

भाग ।।। वित्तीय शर्तें

शर्त 13: देय शुल्क
शर्त 14: वार्षिक लाइसेंस शुल्क और अन्य बकायों के भुगतान की अनुसूची
शर्त 15: बैंक गांरटी

भाग IV तकनीकी शर्तें
शर्त 16: तकनीकी शर्तें
शर्त 17: इंजीनियरिंग ब्योरा

भाग V प्रचालन शर्तें

शर्त 19: उपभोक्ता टर्मिनल (मोबाइल टेलीफोन या हैंडसेट)
शर्त 20: लाइसेंसधारी पर लागू दायित्व

भाग VI विशेष शर्तें

शर्त 21: निरीक्षण का अधिकार

606

शर्त 22: स्विचों की अवस्थिति
शर्त 23: सूचना की गोपनीयता
शर्त 24: लाइसेंसधारी के कतिपय कार्यों का निषेध
शर्त 25: सुरक्षा संबंधी शर्तें
शर्त 26: भारतीय तार अधिनियम का अनुप्रयोग

भाग VII डब्ल्यूपीसी स्कंध का लाइसेंस
शर्त 27: डब्ल्यूपीसी स्कंध का लाइसेंस

अनुबंध-I शर्तों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषा
अनुबंध-II वित्तीय बैंक गारंटी के लिए प्रारूप

सेवा क्षेत्र की अनुसूची

1.0 सेवा क्षेत्रः (नोटः संबंधित लाइसेंस करार में केवल प्रासंगिक भाग ही लिखा जाना है) ।

सेवा क्षेत्र जिसके लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, निम्नवत् है ।

-- सेवा क्षेत्र

1.1 लाइसेंस करार के अनुसार लाइसेंस का सेवा क्षेत्र स्थान विशिष्ट के लिए होगा ।

अनुसूची-II - निबंधन एवं शर्तें

भाग -I सामान्य शर्तें

1.0 लाइसेंस का क्षेत्रः

1.1 सर्किट और/या पैकेट स्विचों सहित किसी भी प्रकार के नेटवर्क उपस्कर जो संबंधित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई टी यू)/ दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र/ 3 जी पी पी/ 3 जी पी पी-2/ई टी एस आई/आई ई टी एफ/ए एन एस आई / ई आई ए/ टी आई ए/ आई एस जैसी अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण निकायों की आवश्यकताएं पूरी करता हो, का उपयोग करते हुए निर्धारित सेवा क्षेत्र में गैर-अनन्य आधार पर सेवा प्रदान करने के लिए यह लाइसेंस प्रदान किया जाता है । परंतु आगे यह कि लाइसेंसदाता को हमेशा स्वयं या मनोनीत प्रचालक के माध्यम से उस सेवा क्षेत्र में जहां के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है के सहित, भारत में कहीं भी सेवा के प्रचालन का अधिकार होगा ।

1.2 लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने के लिए शामिल सभी अवसंरचना की व्यवस्था स्वयं करेगा तथा आवश्यक उपस्कर और प्रणालियों के संस्थापन, नेटवर्किंग तथा प्रचालन, उपभोक्ता की शिकायतों को निपटाने, अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करने, राजस्व के संग्रहण, अपने प्रचालन के कारण उत्पन्न होने वाले दावों और क्षति का समाधान करने के लिए केवल वही उत्तरदायी होगा ।

2. लाइसेंस की अवधि

2.1 एनालॉग प्रणाली के लिए

लाइसेंस करार की अवधि लाइसेंस करार में दी गई प्रभावी तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए होगी जब तक कि इस लाइसेंस करार में उल्लिखित कारणों से पहले ही प्रति संहरित/समाप्त/ निलंबित न कर दिया जाए ।

2.2 डिजीटल प्रणाली के लिए

(क) लाइसेंस करार की अवधि लाइसेंस करार में दी गई प्रभावी तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए होगी जब तक कि इस लाइसेंस करार में उल्लिखित कारणों से पहले ही प्रति संहरित /समाप्त/ निलंबित न कर दिया जाए ।

(ख) यदि उपयुक्त माना जाए तो, लाइसेंसदाता लाइसेंस की अवधि को लाइसेंसधारी के अनुरोध पर एक बार में 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है बशर्ते कि यह अनुरोध पारस्परिक सहमति पर लाइसेंस अवधि के 19वें वर्ष के दौरान किया गया हो । अवधि विस्तार की स्वीकृति के बारे में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम होगा ।

3. लाइसेंस की शर्तों में आशोधन

3.1 लाइसेंसदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि लाइसेंसदाता की राय में देश की सुरक्षा के हित में, जनहित में और सेवा/तार के समुचित संचालन हेतु आवश्यक अथवा अपरिहार्य हो तो वह किसी भी समय लाइसेंस की शर्तों में बदलाव कर सकता है या नई शर्तें शामिल कर सकता है। इस संबंध में लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

4. "लाइसेंस के अंतरण" पर प्रतिबंध

4.1 लाइसेंसदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना लाइसेंसधारक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी तरीके से, तीसरे पक्ष् को इस लाइसेंस को सुपुर्द अथवा अंतरित नहीं करेगा अथवा उप-लाइसेंस के लिए कोई करार नहीं करेगा और/अथवा किसी तीसरे पक्ष से लाइसेंस संबंधी किसी विषय के बारे में पूर्णतः अथवा आंशिक साझेदारी नहीं करेगा अर्थात कोई उप-पट्टा/साझेदारी/ तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं करेगा। परंतु लाइसेंसधारी सेवा की व्यवस्था हेतु हर समय एजेंट और कर्मचारी नियोजित अथवा तैनात कर सकता है।

4.2 लाइसेंसधारक निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर लाइसेंसदाता की पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ लाइसेंस करार को अंतरित या सुपुर्द कर सकता है :

(i) जब लाइसेंस दाता, लाइसेंसधारक और ऋण दाताओं के बीच पहले से किए गए त्रिपक्षीय करार की प्रक्रिया पूरा होने की शर्तों के अनुसार अंतरण और सुपुर्दगी का अनुरोध किया गया हो; अथवा

(ii) जब कभी समामेलन अथवा पुनर्गठन अर्थात विलय अथवा विभाजन लागू कानून के अनुसार उच्च न्यायालय या अधिकरण द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित हो; उपबंधों के अनुसार हो; विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के अनुसार; और

(iii) अंतरण प्राप्तकर्ता/समनुदेशिती निविदा शर्तों अथवा उस क्षेत्र में नए लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवश्यक किसी अन्य दस्तावेज में शामिल पात्रता मानदंड के अनुसार पूर्ण रूप से पात्र हो तथा पिछले और भविष्य के रॉल आउट दायित्वों सहित लाइसेंस करार की शर्तों के अनुपालन के लिए लिखित रूप से इच्छा प्रकट करे; और

(iv) अंतरणकर्ता कंपनी द्वारा अंतरण/सुपुर्दगी की तारीख तक की सभी पूर्व देयताएं पूर्ण रूप से अदा कर दी गई हों और इसके पश्चात कार्य छोड़ने वाली कपंनी द्वारा पूर्व अवधि में भुगतान न किए गए किसी शेष सहित भविष्य की सभी देयताएं को अदा करने का वचन दे।

5. **सेवा प्रदान करना**

5.1 लाइसेंसधारी इस लाइसेंस करार के अंतर्गत कैप्टिव प्रयोग के लिए मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा हेतु सभी प्रयोज्य प्रणालियों के स्वामित्व, संस्थापन, जांच और आरंभ करने के लिए जिम्मेवार और प्राधिकृत होगा।

6. **सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता**

6.1 लाइसेंसधारक समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले नियमों/आदेशों के अनुसार लाइसेंसदाता/ ट्राई को प्रणाली पासवर्ड सहित ऐसे दस्तावेज, विवरण, अनुमान, प्रतिवेदन, रिपोर्ट या अन्य सूचना इस प्रकार और ऐसी समय सीमा में प्रस्तुत करेगा जैसाकि उनमें से कोई एक मांग करे। लाइसेंसधारक ट्राई को ट्राई अधिनियम, 1997 या किसी संशोधित, आशोधित कानून के प्रावधान के अंतर्गत समय-समय पर जारी किसी आदेश, निदेश और विनियम के अनुसार सूचना भी उपलब्ध कराएगा।

7. **लाइसेंस का निलंबन, रद्दीकरण अथवा समाप्ति**

7.1 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि जनहित में अथवा देश की सुरक्षा के हित में अथवा आपात काल/युद्ध अथवा कम तीव्रता संघर्ष की स्थिति में लाइसेंस प्रदाता की राय में, यदि आवश्यक अथवा अपरिहार्य हो तो वह किसी भी समय पूर्णतया अथवा अंशतः इस लाइसेंस के प्रचालन को रद्द/समाप्त/ निलंबित कर सकता है। बशर्ते इन शर्तों के तहत सरकार द्वारा जारी कोई भी विशिष्ट आदेश या निदेश लाइसेंसधारक पर लागू होगा और उसे इसका कड़ाई से पालन करना होगा। लाइसेंस प्रदाता को देय लाइसेंस शुल्क उस अवधि के लिए दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसमें लाइसेंस का प्रचालन पूर्णतया निलंबित कर दिया गया हो ।

परंतु पूर्वोक्त कार्रवाई के फलस्वरूप हुई किसी क्षति अथवा हानि के लिए लाइसेंस प्रदाता जिम्मेवार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस की अवधि विस्तार के लिए लाइसेंस का निलंबन कोई कारण अथवा आधार नहीं होगा तथा निलंबन की अवधि पहले ही व्यतीत अवधि के रूप में गिनी जाएगी।

7.2 लाइसेंस की किसी भी शर्त की अवहेलना करने पर, किसी अन्य उपलब्ध उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, लाइसेंस प्रदाता लाइसेंसधारी को इसके पंजीकृत कार्यालय को जारी 60 दिन के लिखित नोटिस द्वारा, निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति में इस लाइसेंस को पूर्णतया अथवा अंशतः निरस्त कर सकता है :

यदि लाइसेंसधारी :

(क) शुल्क के समय पर भुगतान और लाइसेंस प्रदाता को देय अन्य शुल्कों सहित लाइसेंस के अंतर्गत किसी दायित्व(वों) के निष्पादन में असफल रहे;

(ख) लाइसेंस प्रदाता द्वारा लाइसेंसधारी को दी गई समय अवधि के दौरान सेवा/उपस्कर में किसी त्रुटि/कमी को सुधार न पाए।

(ग) परिसमापन हो जाए अथवा उसे समाप्त करने के आदेश दिए जाएं।

(घ) लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर ट्राई द्वारा लाइसेंस के निरस्तीकरण की सिफारिश की जाए।

7.3 खंड 7 के तहत लाइसेंस की समाप्ति पर विचार करने के लिए, लाइसेंसधारक से निम्नलिखित की अपेक्षा होगी :

(i) लाइसेंस करार से संबंधित अपने सभी देयों (लाइसेंस शुल्क और डब्ल्यूपीसी प्रभार) का भुगतान स्व-आकल के अनुसार समाप्ति की प्रस्तावित तारीख तक करें।

(ii) प्रतिभूति जमा का भुगतान करें, जिसे कंपनी के खातों के अंतिम निपटान के पश्चात लाइसेंस करार से संबंधित बकायों के समायोजन के बाद लौटा दिया जाएगा। प्रतिभूति जमा की राशि उच्चतम वार्षिक लाइसेंसशुल्क के 50% जम पिछले तीन वर्षों के दौरान लाइसेंसधारक द्वारा प्रदत्त डब्ल्यूपीसी प्रभारों के बराबर होनी चाहिए, जिसे उस अवधि के लिए यथानुपात आधार पर परिकलित किया गया है जिस दौरान लेखा परीक्षित खातें और अन्य दस्तावेजों को लाइसेंस प्रदाता की संतुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं किया गया है।

(iii) इस बारे में वचन-पत्र दें कि दूरसंचार विभाग कंपनी से कोई अन्य बकाया देय राशियों की उगाही के लिए क्षतिपूर्ति बाँड के रूप में कोई अन्य उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7.4 लाइसेंसधारक द्वारा खंड 7.3 के अनुपालन पर, खंड 8 के तहत लाइसेंस की समाप्ति के अनुक्रम में लाइसेंस प्रदाता द्वारा बैंक गारंटी लौटा दी जाएगी।

7.5 लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्रदाता को कम से कम 60 दिनों का अग्रिम नोटिस देकर लाइसेंस को लौटा भी सकता है। लाइसेंसधारी अपने सभी उपभोक्ताओं को 30 दिन का नोटिस भेजकर परिणामस्वरूप सेवा वापसी की भी सूचना भेज सकता है। लाइसेंसधारी लाइसेंस छोड़ने की प्रभावी तारीख तक के सभी शुल्क अदा करेगा। लाइसेंस छोड़ने की प्रभावी तारीख, लाइसेंस प्रदाता को प्राप्त ऐसे नोटिस की तारीख से गिनकर 60वां कलैण्डर दिन होगा।

7.6 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि लाइसेंस को रद्द करने संबंधी नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन का नोटिस देकर, जनहित में लाइसेंस को किसी भी समय रद्द कर सकता है।

7.7 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह लाइसेंसधारी की संपूर्ण सेवा, उपस्करों और नेटवर्कों का अधिग्रहण कर सकता है अथवा जनहित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध की स्थिति में अथवा कम तीव्रता संघर्ष अथवा ऐसी समान परिस्थितियों में लाइसेंस को रद्द/समाप्त/निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस प्रदाता के पास अधिकार सुरक्षित है कि यदि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो तो किसी क्षेत्र को प्रचालन जोन से बाहर रख सकता है।

7.8 लाइसेंस शर्तों को पूरा न करने संबंधी उल्लंघन की जानकारी नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप या शिकायतों के माध्यम से लाइसेंसदाता के नोटिस में आ सकती है। जहां भी उपयुक्त समझा जाए लाइसेंसदाता स्वयं या शिकायत के आधार पर यह जानने के लिए जांच कर सकता है कि लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के निबंधन ओर शर्तों के अनुपालन के संबंध में कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा इस जाँच के आधार पर लाइसेंसधारी सभी उचित सुविधाओं में विस्तार करेगा तथा हर प्रकार की अड़चन को हटाने का प्रयत्न करेगा।

8 लाइसेंस को समाप्त करने के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई

8.1 यदि लाइसेंस करार के अंतर्गत ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लाइसेंस प्रदाता को लाइसेंस करार को समाप्त करना पड़े तो लाइसेंसप्रदाता, जहाँ ऐसा करार निष्पादित और हस्ताक्षरित किया गया हो। त्रिपक्षीय करार में दी गई शर्तों के अनुसार कार्रवाई करेगा। हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय करार न होने के मामलों में निम्न शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

8.2 लाइसेंस को समाप्त करने अथवा छोड़ने अथवा अवधि खत्म होने की स्थिति में, सभी देयताओं जिसका भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंसधारक को किया जाना है, को चुकाने के संबंध में आश्वस्त होने पर ही लाइसेंसधारी को बैंक प्रत्याभूतियां सौंपी जाएंगी। लाइसेंसधारी के लाइसेंसदाता को देय राशियो का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, लाइसेंसधारी को आगे कोई सूचना दिए बिना लाइसेंसदाता को देय राशि की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई(ओं) के प्रति पूर्वाग्रह के बिना बैंक प्रत्याभूतियों के भुनाने के माध्यम से बकाया राशि वसूली जाएगी।

9. बाध्यकारी उपाय

9.1 यदि किसी समय इस लाइसेंस के जारी रहने के दौरान किसी पक्षकार द्वारा इसके अंतर्गत किसी दायित्व का समग्र रूप से या आंशिक रूप से निष्पादन को युद्ध या शत्रुता द्वारा, सार्वजनिक शत्रुता, नागरिक क्षोभ, विध्वंस, राज्य की कार्रवाई या सांविधिक प्राधिकारी से निदेश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो लाइसेंसधारक के प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं तक सीमित नहीं हो), दैवी कार्य (जिसे यहां घटना कहा जाएगा) द्वारा रोका जाता है या विलम्बित

612

होता है, बशर्ते कि किसी ऐसी घटना के होने के बारे में इसके घटित होने की तारीख से 21 कैलेण्डर दिवसों के भीतर इसकी सूचना प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दे दी जाती है, कोई भी पक्ष इस घटना के कारण लाइसेंस समाप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होगा न ही किसी पक्ष का ऐसा निष्पादन न करने या निष्पादन में विलम्ब के मामले में दूसरे पक्ष के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार होगा। परंतु ऐसी घटना के समाप्त होने के पश्चात, लाइसेंस के तहत सेवा व्यवहार्य होने पर शीघ्रातिशीघ्र शुरू की जाएगी। इस तरह सेवा शुरू करने (और समय-सीमा जिसके भीतर सेवा शुरू की जा सकती है) या न करने के संबंध में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

9.2 तथापि, बाध्यकारी उपाय संबंधी उपर्युक्त घटनाओं के कारण किसी भी तरह लाइसेंस की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी।

9.3 जबकि यह लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने का कोई आधार भी नहीं होगा, घटना की परिस्थितियों पर आधारित विवेक पर, बाध्यकारी खंड के कारण ऐसी अप्रचालक अवधि(यों) के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान की देयता को तथापि लाइसेंसदाता द्वारा कम किया/छोड़ा जा सकता है।

10. सेट ऑफ क्लाज :

10.1 यदि कोई धनराशि अथवा दावा लाइसेंसधारक से लाइसेंसदाता को इस लाइसेंस करार के लिए अथवा अन्यथा किसी रूप में देय हो जाता है तो ऐसी धनराशि अथवा दावे को (विधि द्वारा दिए गए अथवा लगाए गए किसी प्रतिदावे के लिए सेट ऑफ संबंधी किसी अधिकार को प्रतिबंधित किए बिना) तब देय अथवा इस लाइसेंस करार या अन्य करार अथवा लाइसेंसदाता तथा लाइसेंसधारक के बीच किसी अन्य करार अथवा ठेके के अंतर्गत तत्पश्चात किसी समय लाइसेंसधारक को देय होने वाली किसी राशि अथवा धनराशि में से घटा लिया जाएगा अथवा समयोजित कर दिया जाएगा।

10.2 लाइसेंसधारक कंपनी को भुगतान की जाने वाली पूर्वोक्त धनराशि में कोई मूल्यवान प्रतिभूति जिसे धनराशि में परिवर्तित किया जा सके, शामिल होगी।

10.3 सेट ऑफ संबंधी अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात, लाइसेंसदाता ऐसी कार्रवाई की सूचना लाइसेंसधारक कंपनी को लिखित रूप में तुरंत स्पष्ट रूप से देगा।

11. सामान्य :

11.1 लाइसेंसधारक इस लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों तथा लाइसेंसदाता/ट्राई द्वारा जारी अनुदेशों तथा समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम 1997 के उपबंधों के अनुसार ट्राई के आदेशों/निदेशों/विनियमनों से बंधा होगा।

11.2 इस लाइसेंस से संबधित सभी विवाद ट्राई अधिनियम, 1997 के उपबंधों, जिसमें कोई भी संशोधन या आशोधन जो भी हो शामिल है के अनुसार दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के क्षेत्राधिकार में होंगे।

11.3 यह लाइसेंस करार भारतीय तार अधिनियम 1885 या भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 के अंतर्गत सावंधिक उपबंधों और नियमों के अनुसार कार्य करेगा। इन संविधियों के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश लाइसेंसधारी के लिए मान्य होगा।

भाग-II वाणिज्यिक शर्तें :

12. कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा निदेशिका का प्रकाशन

12.1 मोबाइल रिडियो ट्रंक सेवा निदेशिका के प्रकाशन के संबंध में ट्राई का निश्चय, जिसमें मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा के उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना देना लागू है और बाध्यकर है।

भाग-III वित्तीय शर्तें

13. देय शुल्क

13.1 लाइसेंस शुल्क

(क) सार्वजनिक सेवा जैसे पुलिस, अग्निशमन और सरकारी सुरक्षा के लिए कार्यरत एजेंसियो को छोड़कर सभी कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवा लाइसेंसधारक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगे।

(ख) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रणालियों के लिए लाइसेंस शुल्क प्रति टर्मिनल 300/-रू0 प्रति वर्ष होगा। बशर्ते कि प्रति लाइसेंसयुक्त क्षेत्र के लिए कम से कम 25,000/-रू0 प्रतिवर्ष हो।

13.2 रेडियो स्पैक्ट्रम प्रभारः

लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त, रेडियो स्पैक्ट्रम के उपयोग के लिए रॉयल्टी और शुल्क पृथक रूप से दिए जाएंगे। कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा लाइसेंसों पर स्पैक्ट्रम प्रभारण की वर्तमान व्यवस्था डब्ल्यूपीसी द्वारा समय समय पर किए गए परिवर्तनों के अध्यधीन होगी।

इसके अतिरिक्त, प्वाइंट टू प्वाइंट लिंकों और अन्य अभिगम लिकों के लिए स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने हेतु यदि स्थापित करने की अनुमति दी गई हो, (मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा स्पेक्ट्रम से अतिरिक्त) बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध के ब्योरा और आदेश के अनुसार पृथक रूप् से रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। स्पेक्ट्रम के उपयोग/बेतार टेलीग्राफी उपस्कर के स्वामित्व के लिए शुल्क/रॉयल्टी विभिन्न कारकों जैसे कि फ्रीक्वेंसी, होप ओर लिंक लैंथ, प्रचालन क्षेत्र और अन्य संबंद्ध पहलुओं इत्यादि पर निर्भर करता है। मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रचालकों द्वारा माइक्रोवेब लिंकों की स्थापना करने हेतु फ्रीक्वेंसियों के प्राधिकार तथा लाइसेंस जारी करने के कार्य का मौजूदा नियमों के अनुसार पृथक रूप से डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा निपटान किया जाएगा।

उपर्युक्त स्पेक्ट्रम प्रभार डब्ल्यूपीसी द्वारा समय-समय पर की गई समीक्षा के अध्यधीन होंगे।

14. वार्षिक लाइसेंस शुल्क और अन्य बकायों के भुगतान की समय-सूची

14.1 लाइसेंस शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रथम वर्ष की समाप्ति लाइसेंस करार की शुरूआत की तारीख के बाद 31 मार्च को होगी और प्रथम वर्ष के लाइसेंस शुल्क का निर्धारण 'वर्ष' की वास्तविक अवधि के लिए यथानुपात आधार पर होगा। दूसरे वर्ष से आगे के वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अंग्रेजी कैलेण्डर के 12 महीने का होगा।

व्याख्या : लाइसेंस के प्रथम वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क की गणना पूर्ववर्ती तिमाहियों जो प्रायः प्रत्येक तीन महीने की होती है, को छोड़ने के पश्चात दिनों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में की जाएगी।

14.2 लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों मे किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही का भुगतान अग्रिम के रूप में भुगतान वर्ष की संबद्ध तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर करना होगा। लाइसेंसधारक द्वारा इस लाइसेंस शुल्क का भुगतान, लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र के साथ विधिवत प्रमाणित करके, बोर्ड संकल्प द्वारा प्राधिकृत सामान्य पावर आफ अटार्नी के साथ तिमाही के लिए वास्तविक राजस्व के आधार पर (प्राप्ति के आधार पर) करना होगा।

14.3 तिमाही भुगतान उस विवरण के साथ करना होगा जिसमें प्रत्येक माह के अंत में प्रयुक्त टर्मिनलों की संख्या बता रखी हो। प्रत्येक माह के अंत में प्रयुक्त टर्मिनलों की संख्या तिमाही के सभी महीनों के लिए जोड़ी जाएगी और लाइसेंसशुल्क की गणना के उद्देश्य से संपूर्ण महीनों की संख्या द्वारा विभाजित की जाएगी।

14.4 लाइसेंसधारक किए गए भुगतान और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए देय वास्वतिक राशि (प्राप्ति के आधार पर) के बीच अंतर का समायोजन और भुगतान कथित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर करेगा।

14.5 निर्धारित अवधि के बाद लाइसेंस शुल्क अथवा लाइसेंस के अंतर्गत देय कोई अन्य बकाये के भुगतान में किसी प्रकार के विलंब के कारण संबंधित कथित वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के संबंध में जो दर वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल) की शुरूआत में होगी, उसी के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया की प्राइम लेंडिंग दर (पीएलआर) से 2% से अधिक दर पर ब्याज लगेगा। ब्याज मासिक रूप से मिश्रित लिया जाएगा और महीने के कुछ दिनों को ब्याज की गणना के प्रयोजनार्थ पूरा महीना के रूप में गिना जाएगा। महीना अंग्रेजी कलेण्डर के माह के रूप में माना जाएगा।

14.6 यदि वित्तीय वर्ष की चारों (4) तिमाहियों के लिए त्रैमासिक लाइसेंस शुल्क के रूप में अदा की गई कुल राशि में देय लाइसेंस शुल्क के 10% से अधिक तक कमी आती है तो इस पर कम भुगतान की संपूर्ण राशि का 50% का जुर्माना लगेगा। कम भुगतान की इस राशि, जुर्माना सहित का भुगतान 15 दिनों के भीतर करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में **शर्त 14.5** की शर्तों के अनुसार उस पर पुनः ब्याज लगा दिया जाएगा।

14.7 ऊपर 13.2 में दिए गए लाइसेंस शुल्क/रॉयल्टी का भुगतान उस समय और उस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि दूरसंचार विभाग का डब्ल्यूपीसी स्कंध ने समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

14.8 इस लाइसेंस करार में यथा उल्लिखित संपूर्ण राशि बकाया और देय हो रही है तो उसका लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान किसी भी राष्ट्रीय बैंक से डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे-आर्डर के माध्यम से जो नई दिल्ली में देय हो, वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग अथवा किसी अन्य प्राधिकारी, यदि लाइसेंसदाता द्वारा ऐसा कोई पदनामित किया जाए, के पक्ष में करना होगा।

14.9 लाइसेंसधारक अपने नेटवर्क से हुई कॉलों परंतु बीएसएनएल/एमटीएनएल/ अन्य अभिगम सेवा प्रदाता के नेटवर्क में गईं तथा समाप्त हुई कॉलों के कैरेज के लिए अलग से अभिगम प्रभारों का भुगतान करेगा। लाइसेंसधारक बीएसएनएल/एमटीएनएल/अन्य लाइसेंस अभिगम सेवा प्रदाताओं से प्राप्त नेटवर्क संशोधनो के लिए भी अलग से भुगतान करेगा। यह ट्राई के निर्णय द्वारा शाशित किया जाएगा।

15 बैंक गारंटी

15.1 **वित्तीय बैंक गारंटी :** लाइसेंसधारी **अनुबंध-III** में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में किसी भी अनुसूचित बैंक या किसी सावर्जनिक वित्तीय संस्थान से एक वर्ष के लिए मान्य वित्तीय बैंक गांरटी प्रस्तुत करेगा। एफबीजी की धनराशि एक लाख रु0 या पिछले वर्ष की अंतिम दो तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क के समतुल्य तथा अन्य भुगतान अन्यथा प्रतिभूति न हो, जो भी ज्यादा हो, होगी। वित्तीय बैंक गारंटी प्रारंभ में एक वर्ष के लिए वैध होगी और इसे इन सभी बकायों के अंतिम निपटान तक लाइसेंस करार की समूची अवधि के लिए रखा जाएगा। वित्तीय बैंक गारंटी की धनराशि लाइसेंसदाता द्वारा आविधिक समीक्षा के अध्यधीन होगी ।

15.2 स्पेक्ट्रम का उपयोग करने तथा साथ ही बेतार टेलीग्राफी उपस्कर को रखने के लिए शुल्क, प्रभार तथा रायल्टी डब्ल्यूपीसी को वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करके अलग से प्रतिभूति की जाएगी। बैंक गारंटी प्रारंभ में एक वर्ष के लिए वैध होगी और इसे इन सभी बकायों के अंतिम निपटान तक लाइसेंस करार की समूची अवधि के लिए रखा जाएगा।

15.3 लाइसेंसधारक वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर लाइसेंसदाता से कोई मांग अथवा नोटिस प्राप्त किए बिना वित्तीय बैंक गारंटी की अवधि समाप्त होने की तारीख से न्यूनतम एक माह पूर्व समान शर्तो के लिए उसकी वैधता अवधि स्वयं बढ़ा लेगा। ऐसा करने में किसी चूक से लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन होगा और लाइसेंसदाता वित्तीय बैंक गारंटी को भुनाने और उसी के जोखिम और लागत पर लाइसेंसधारक को कोई पत्र भेजे बिना इसे नकद प्रतिभूति में परिवर्तित करने का हकदार हो जाएगा। लाइसेंसदाता द्वारा ऐसे नकदीकरण पर कोई ब्याज अथवा मुआवजा, कुछ भी हो, नहीं दिया जाएगा।

15.4 लाइसेंसदाता, लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस की निबंधन और शर्तो का किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने के मामले में अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी पूर्वाग्रह के बिना वित्तीय बैंक गारंटी/गारंटियों को भुना सकता है।

भाग IV तकनीकी शर्तें

16 तकनीकी शर्तें

16.1 कंपनी सेवा के प्रचालन के जलिए तैनात की जाने वाली प्रस्तावित प्रणालियों की प्रौद्योगिकी का ब्यौरा, सेवा की गुणवत्ता और अन्य निष्पादन पैरामीटरों को विनिर्धारित करेगी। प्रौद्योगिकी आईटीयू/टीईसी या कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक संगठनों/निकायों द्वारा जारी मानकों पर आधारित होनी चाहिए लाइसेंसधारक इन प्रौद्योगिकियों को लगाने से पहले लाइसेंसप्रदाता से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

16.2 **स्थिर टेलीफोनों का प्रयोग:** सेवा प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताआं की आवश्यकताओं को पूरा करना है। स्थिर स्टेशनों का प्रयोग गौण होगा। नेटवर्क में स्थिर स्टेशनों की कुल संख्या किसी भी समय उपभोक्ताओं की कुल संख्या का 10% से अधिक नहीं हो चाहिए।

16.3 **पारेषण संबंधी विशेषताएं :** सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित प्रणाली इस प्रकार बनरायी जानी चाहिए कि इससे सेवा क्षेत्र के भीतर भवनों अंदर अच्छी रेडियो कवरेज मिल सके। यह प्रणाली इस प्रकार तैयार की जाएगी कि इससे किसी व्यक्तिगत लाइसेंस के संबंध में अनुमत अधिकतर दूरी को छोड़कर बेस स्टेशन से अधिकतम 30 कि0मी0 की दिज्यी दूरी को कवर किया जा सके।

16.4 **फ्रीक्वेंसी बैंड :** फ्रीक्वेंसी बैंड और बेस स्टेशन से अनुमत विद्युतीय सीमाएं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है। समय-समय पर संशोधित एनएफएपी - 2002 के अनुसार लाइसेंसधारक को आवंटित किए जाने के लिए इन बैंडों में केवल उपलब्ध फ्रीक्वेंसी स्लोटों पर विचार किया जाएगा।

300 मेगाहर्ट्ज या 400 मेगाहर्ट्ज या 800 मेगाहर्ट्ज ।

क) फ्रीक्वेंसी बैंड:

(i) 335.4 - 367 मेगाहर्ट्ज (338 - 340 मेगाहर्ट्ज 348-350 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित, 336-338 मेगाहर्ट्ज 336-348 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित और 340-342 मेगाहर्ट्ज 355-357 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित मामले दर मामले आधार पर)

(ii) 380-389.9 मेगाहर्ट्ज 390-399.9 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित और डिजीटल रेडियो ट्रंकिंग प्रणाली के लिए 410-430 मेगाहर्ट्ज में मामले दर मामले आधार पर ।

(iii) 806-811 मेगाहर्ट्ज 851-856 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित, 811-814 मेगाहर्ट्ज 856 - 859 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित।

(iv) 819-824 मेगाहर्ट्ज 864-869 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित

(ख) **मैक्स आरएफ पावर आउट पुट** : बेस स्टेशन 100 वाट तक
- वहीकल मोबाइल 30वाट तक
- हैंड हेल्ड 03 वाट तक

(ग) **एडजसेंट चैनल स्पेसिंग** : 300 मेगाहट्र्ज/400 मेगाहट्र्ज बैंड 12.50 किलोहट्र्ज(11केओएफ3ई) | 800 मेगाहट्र्ज बैंड 25 किलोहट्र्ज (11केओएफ3ई)

(घ) **ड्यूपलेक्स स्पेसिंग : (टीएक्स आर एक्स स्पेसिंग)** 300/400 मेगाहट्र्ज बैंड 10 मेगाहट्र्ज | 800 मेगाहट्र्ज बैंड 45 मेगाहट्र्ज

16.5 सेवा के प्रयोक्ताओं के बीच केवल वास्तविक समय वॉयस और संदेश संचार ही अनुमत्य है। कुल वैकल्पिक सेवाएं निम्नलिखित हैं जो लाइसेंसयुक्त नेटवर्क में प्रदान की जा सकती हैं। कोई अन्य वैकल्पिक सेवाएं प्रस्ताव में सूचीबद्ध की जा सकती हैं :

i) ग्रुप कालिंग
ii) वरियता काल ऑवरराइड
iii) फ्लीट/डिस्पैच काल

iv) ऊपर खंड 20.6.1 में निर्दिष्ट अधिकतम आरएफ विद्युतीय सीमाओं को पार किए बिना बेस स्टेशन पास करके मोबाइल से मोबाइल और मोबाइल से स्थिर प्रत्यक्ष संचार।

v) क्लॉज्ड यूजर ग्रुप

एक मोबाइल स्टेशन तत्संबंधी बेस स्टेशन(नों) को आबंटित की गई किसी भी फ्रीक्वेंसी को पारेषित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

16.6 चैनल एसाइनमेंट और लोडिंग :

16.6.1 दो पृथक ल इसेंसयुक्त प्रणालियों के बीच किसी अंतरसंयोजन की अनुमति नहीं होगी।

16.6.2 अन्य फ्रीक्वेंसी बैंड में प्रचालन के लिए पृथक लाइसेंस की आवश्यकता होगी भले ही नई प्रणाली के लिए वही बे स स्टेशन/रीपीटर स्टेशन के स्थलों का प्रयोग किया जा रहा है।

16.6.3 प्रारंभ में, कैप्टिव एनालॉग/डीजीटल मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग प्रणाली के लिए पांच चैनलों (फ्रीक्वेंसी युग्म) से अधिक आवंटित नहीं किए जाएंगे। कैप्टिव डिजीटल मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग प्रणाली के लिए 5 चैनलों (फ्रीक्वेंसी युग्म) से अधिक का चैनल आवंटन उपलब्धता औचित्य और उसके वास्तविक उपयोग पर निर्भर करेगा। आगे, अतिरिक्त चैनलों पर विचार सेवा में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निश्चित सेवा क्षेत्र में विनिर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी बैंडों में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाएगा। इसमें नियंत्रण चैनल भी शामिल होगा।

16.6.4 मोबाइल ट्रंक्ड रेडियो चैनलों के पास अनिवार्यतः प्रति चैनल के हिसाब से मोबाइलों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए जो एनालॉग प्रणाली के लिए स्वीकार्य प्रयोग के रूप में 90 मोबाइलों की संख्या पर विचार किया जा रहा है। डिजीटल प्रणाली के लिए प्रति चैनल लोडिंग एनालॉग प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक होगी। डिजीटल प्रणाली के लिए प्रति चैनल आधा पर मोबाइलों की न्यूनतम संख्या टीईसी के साथ परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

16.6.5 आंवटन के लिए अतिरिक्त चैनलों पर विचार किया जा सकता यदि प्रयोग प्रति चैनल एर्लांग परियात के मामले 90% पहुंच गया हो और यह आवंटन की तारीख से पहले कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए वहीं बना रहता है। यदि लाइसेंस की वैधता के प्रारंभिक छः महिनों के अंत पर एर्लांग परियात के मामले में लोडिंग 7% से कम है तो लाइसेंस प्रदाता रेडियो चैनल आवंटन लाइसेंसधारक को बिना नोटिस दिए वापस ले सकता है।

16.6.6 को चैनल प्रणालियों के लिए लाइसेंस टेसेन एंटिना ऊँचाई और संस्थापित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक समन्वय पर मामले दर मामले निपटान पर दिया जाएगा।

17. इंजीनियरिंग ब्यौरा :

17.1 लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता को ऐसे तरीके से और ऐसे समय, जैसाकि लाइसेंसप्रदाता अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि मांग करे, लागू व्यवस्था के संबंध में सिस्टम/नेटवर्क का इंजीनियरिंग, योजना और आयाम की सभी गणनाओं सहित पूरा तकनीकी ब्यौरा, संबंधित प्रासंगिक साहित्य, ड्राईंग्स, संस्थापना सामग्री उपलब्ध कराएगा।

17.2 सेवा के शुरू होने से पहले अथवा लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय यदि लाइसेंसप्रदाता का जांच दल और/अथवा टीईसी जांच करना चाहे तो लाइसेंसधारी उन्हें सभी औजार जांच उपकरण और अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध कराएगा।

18. सुरक्षा की दृष्टि से, लाइसेंसधारक द्वारा अपनी ही लागत पर, जब भी आवश्यकता हो, मॉनीटरिंग के लिए ऐसा उपयुक्त मॉनीटरिंग उपस्कर प्रदान किया जाएगा जैसा कि प्रयुक्त प्रणाली की प्रत्येक किस्म के लिए लाइसेंसप्रदाता द्वारा निर्धारित किया गया हो।

भाग-V प्रचालन संबंधी शर्तें

19. उपभोक्ता टर्मिनल (मोबाइल टेलीफोन अथवा हैंडसैट) :

19.1 नेटवर्क में प्रयुक्त उपभोक्ता टर्मिनल आईटीयू/ईटीएसआई/टीईसी के संबंध में तथा अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत निकाय जैसे अंतरर्राष्ट्रीय विख्यात एजेंसी से प्रमाणित प्रकार/प्रतिमान होगा अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक होगा। उन्हें ऐसे मानकों के अनुपालन को विनिर्दिष्ट करने वाले मार्के प्रदर्शित करना चाहिए।

20. लाइसेंसधारी पर लागू दायित्व :

20.1 यह लाइसेंस समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और ट्राई अधिनियम, 1997 अथवा इनके स्थान पर किसी अन्य संविधि द्वारा संचालित होगा।

20.2 लाइसेंसधारी जब कभी आवश्यक हो, भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक साधन उपलब्ध कराएगा। इस लाइसेंस करार में कहीं भी उपबंधित तथा विहित कुछ भी, भारतीय तार अधिनियम, 1885 अथवा प्रभावी किसी अन्य कानून के उपबंधों के अंतर्गत उपबंधित किसी भी चीज को प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं करेगा।

भाग-VI विशेष शर्तें

21. निरीक्षण का अधिकार

21.1 लाइसेंसदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सेवा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त स्थलों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और विशेष रूप से किन्तु जो इस तक ही सीमित नहीं होंगे, लीज्ड लाइनों जक्शनों, समापन इंटरफेसों, हार्डवेयर/साफ्टवेयर, सेमीकडंक्टरों की मेमोरी चुबम्कीय और ऑप्टिक्ल किस्मों वायर्ड या बेतार विकल्पों, वितरण ढांचों तक अभिगम करने और इनपुट/आउटपुट यन्त्रों/टर्मिनलों के माध्यम से प्रणाली के साथ सम्पर्क स्थापित करने सहित निष्पादन संबंधी परीक्षण संचालित करने का अधिकार होगा। लाइसेंसधारक प्रणाली की सतत निगरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जैसाकि लाइसेंसदाता या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा मांग की जाए। सामान्यतः उपयुक्त नोटिस देने के बाद निरीक्षण किया जाएगा नोटिस उन स्थितियों में देने की जरूरत नहीं है जिससे निरीक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए।

21.2 यह पता लगाने के लिए कि लाइसेंसधारक ने पंजीकरण की शर्तों के अनुपालन में कोई उल्लंघन किया है, लाइसेंसदाता जब भी उपयुक्त समझे स्वैच्छा से या शिकायत प्राप्त होने पर कोई भी जांच कर सकता है और लाइसेंसधारक ऐसी जांच में बिना किसी व्यवधान के सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

22. स्विचों की अवस्थिति :

22.1 लाइसेंसधारी लाइसेंसप्रदाता को स्विचन केंद्रों, पारेषण केंद्रों का रूटिंन ब्योरा सहित अवस्थिति ब्योरा उपलब्ध कराएगा ।

22.2 जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है जैसाकि लाइसेंसदाता द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हों, उनमें उपस्करों की संस्थापना और परियोजना का निष्पादन संबंधी क्रियान्वयन लाइसेंसदाता के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा।

23. सूचना की गोपनीयता :

23.1 लाइसेंसधारी अपने नेटवर्क में भारी भरकम एन्क्रिप्शन उपस्कर नहीं लगाएगा। लाइसेंसधारी के विर्निदिष्ट अपेक्षाओं के लिए नेटवर्क पर लगने वाले किसी भी एन्क्रिप्शन उपस्कर को लगाने के लिए लाइसेंसप्रदाता या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी से पूर्व मूल्यांकन और अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

24. लाइसेंसधारी के कतिपय कार्यों का निषेध :

24.1 लाइसेंसधारी यहां इस लाइसेंस के बल पर इस लाइसेंस करार में यथा परिभाषित सेवा को छोड़कर अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य नहीं करेगा।

24.2 किसी भी प्रकार का संदेह दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा में निहित कोई भी बात लाइसेंसधारी को किसी भी प्रयोज्य प्रणाली से संबंधित विज्ञापन और प्रोत्साहनवर्धक कार्यकलापों में सलंग्न होने से नहीं रोकती।

24.3 लाइसेंसधारक, देश के स्थापित कानूनों का पालन करते हुए अपने नेटवर्क से किसी भी रूप में विवादित, अश्लील, अप्राधिकृत अथवा कोई अन्य विषय-वस्तु, संदेश और संचार जो कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा इत्यादि का किसी भी रूप में उल्लंघन करता हो, को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे उल्लंघन संबंधी किसी विशिष्ट अवसर की एक बार लाइसेंसधारी को रिपोर्ट करने के बाद, लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क से ऐसी सामग्री का परिचालन तत्काल रोका जाए।

24.4 लाइसेंसधारक बिना किसी विलंब के अपने उपस्कर और नेटवर्क के माध्यम से भेजे जाने वाले अशांति फैलाने वाले, कष्टप्रद या विद्वेषपूर्ण कॉलों, संदेशों या संचार का पता लगाने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जब ऐसी सूचना अपराधों की जांच या पता लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक हो। इस संबंध में लाइसेंसधारक की विफलता के कारण उत्पन्न किसी भी क्षति का भुगतान लाइसेंसधारक करेगा।

25. सुरक्षा संबंधी शर्तें :

25.1 लाइसेंसधारी सरकार को निश्चित समय पर विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि जासूसी, विध्वंशात्मक क्रियाकलापों, तोड़फोड या किसी अन्य गैर कानूनी क्रियाकलाप को रोका जा सके।

25.2 सभी विदेशी कार्मिक, जिन्हें लाइसेंसधारी के नेटवर्क की संस्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए, लाइसेंसधारी द्वारा तैनात किए जाने की संभावना है, को तैनाती से पहले सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रदान की जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो इस संबंध में मानक कसौटी अपनाएगा।

25.3 लाइसेंसप्रदाता के पास इन शर्तों को आशोधित करने अथवा नई शर्तें शामिल करने का अधिकार होगा, यदि यह देश की सुरक्षा और जनहित में अथवा टेलीग्राफ के समुचित प्रावधान के लिए आवश्यक हो।

25.4 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा की गई दूरसंचार संस्थापना सुरक्षा दृष्टि से जोखिम न हो और किसी संविधि, नियम अथवा विनियम और लोक नीति के विरूद्ध न हो।

25.5 सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसप्रदाता द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त उपयुक्त निगरानी उपस्कर लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार द्वारा ऐसी परिस्थितियों मे जारी विशिष्ट आदेश और निदेश लागू होंगे।

25.6 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार सेवा क्षेत्र को परिभाषित करने के प्रयोजन से लाइसेंसधारी द्वारा भौगोलीय सीमाओं का यदि कोई सही चित्रण किया गया हो तो, उसे भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन चाहिए। भारत की स्थलीय सीमाएं, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा जारी मानचित्र में दिए गए अनुसार होंगी।

25.7 लाइसेंसधारक सुनिश्चित करेगा कि बेतार प्रणालियां लगाते समय प्रयुक्त रेडियो ट्रांसमीटरों को भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 किमी की दूरी पर अवस्थित और स्थापित किया गया है, और ये रेडियो ट्रांसमीटर इस ढंग से कार्य करेंगे कि इनसे निकलने वाले कोई भी सिगनल जब भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट होंगे या पार करने वाले होंगे तो उनकी क्षमता कम हो जाएगी और इन सीमाओं के पार होते ही कुछ युक्तिसंगत दूरी के भीतर ये अप्रयुक्त भी हो जाएंगे।

25.8 सरकार उपयुक्त अधिसूचना द्वारा देश के कुछ क्षेत्रों में मोबाइल टर्मिनलों के उपयोग को बंद कर सकती है। लाइसेंसधारी नामित प्राधिकारी द्वारा विर्निदिष्ट क्षेत्रों में तत्काल और किसी भी स्थिति में, अनुरोध पर 6 घंटे के अंदर सेवा से

इंकार कर सकता है। सरकार या इसका प्राधिकृत प्रतिनिधी इस प्रकार प्रतिबंधित क्षेत्रों का त्रुटि निवारण कर सकता है। लाइसेंसधारी विशिष्ट क्षेत्र के अंदर मोबाइल टर्मिनल क्रियाकलाप की निगरानी की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा।

25.9 लाइसेंसधारी अपने नेटवर्क में भारी भरकम एन्क्रिप्शन उपस्कर नहीं लगाएगा। लाइसेंसधारी को विर्निदिष्ट अपेक्षाओं के लिए नेटवर्क पर लगने वाले किसी भी एन्क्रिप्शन उपस्कर को लाइसेंसप्रदाता या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी से पूर्व मूल्यांकन और अनुमोदन प्राप्त करना होगा। संचार की निजता की रक्षा और संदेश का अनाधिकृत अंतरावरोधन न हो, यह सुनिश्चित करना लाइसेंसधारी की जिम्मेवारी होगी।

25.10 लाइसेंसप्रदाता को भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी किसी निदेश के अनुसार आपात स्थिति में/युद्ध या कम प्रभाव डालने वाले संघर्ष या किसी अन्य घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी (आंशिक रूप में अथवा सेवा क्षेत्र में समग्र रूप से) से सेवा, उपस्कर और नेटवर्क को वापिस लेने का अधिकार है। ऐसी दशाओं के तहत भारत सरकार द्वारा जारी कोई विशिष्ट आदेश अथवा निदेश लाइसेंसधारी पर लागू होगा और उसका कठोरता से पालन किया जाएगा।

26. भारतीय तार अधिनियम का उपयोग :

26.1 लाइसेंसधारी समय-समय पर यथा संशोधित अथवा परिवर्तित भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 को लागू करने और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तरीके अपनाएगा। सेवा, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय तार नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

26.2 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसप्रदाता द्वारा सूचित केंद्र/राज्य सरकार के नामित प्राधिकारियों को समय-समय पर अपने नेटवर्क के माध्यम से संदेश के अंतरावरोधन के लिए लाइसेंसधारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) निम्नानुसार है :

'किसी लोक आपातकाल अथवा लोक सुरक्षा की दृष्टि की स्थिति में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से विशेष तौर पर प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि सहमत हो कि, किसी टेलीग्राफ द्वारा ट्रांसमिशन के लिए लाया गया अथवा ट्रांसमिटिड अथवा प्राप्त कोई संदेश भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, बाह्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था अथवा वर्ग विशेष के किस अपराध को उकसाने वाले अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग से प्राप्त अथवा संप्रेषित कोई संदेश अथवा किसी विषय विशेष से संबंधित किसी संदेश को, यह आवश्यक समझे अथवा ऐसा शीघ्र करना आवश्यक हो कि इसे ट्रांसमिटिड नहीं किया जाएगा अथवा इसे रोका जाए अथवा सरकार को अथवा अधिकारी को आदेश के संबंध में बताया जाए।

बशर्ते केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रत्यायित संवाददाता द्वारा भारत में प्रकाशन के लिए भेजे गए प्रेस संदेश को जब तक इस उपधारा के अंतर्गत उनके ट्रांसमिशन को निषेध न कर दिया जाए, अंतरावरोधित अथवा रोका नहीं जाएगा।'

भाग-VII डब्ल्यूपीसी स्कंध का लाइसेंस

27. डब्ल्यूपीसी स्कंध :

27.1 डब्ल्यूपीसी स्कंध, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की ओर से एक अलग से विशिष्ट प्राधिकरण अपेक्षित होगा जो उक्त प्राधिकरण के लिए भुगतान सहित विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत एकीकृत अभिगम सेवा के लाइसेंस करार के अधीन दूरसंचार सेवा के बेतार अवयवों की स्थापना और कब्जा और प्रचालन के लिए उपयुक्त फ्रीक्वेंसी/बैंड के उपयोग की मंजूरी देगा। प्राधिकरण की ऐसी मंजूरी सामान्य नियमावली, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी ओर इसमें शामिल आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर आधारित होगी।

27.2 इस प्रयोजन हेतु, डब्ल्यूपीसी स्कंध से उपलब्ध एक विहित आवेदन प्रपत्र में 'बेतार सलाहकार, भारत सरकार, डब्ल्यूपीसी स्कंध, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, संचार भवन, नई दिल्ली-110001' को अलग से एक आवेदन भेजा जाएगा।

27.3 फीक्स्ड स्टेशनों और इनके एंटीना मास्ट के संबंध में डब्ल्यूपीसी स्कंध से स्थल का निकासी प्रमाण पत्र लेना होगा जिसके लिए आवेदनकर्ता एक विहित आवेदन प्रपत्र में अलग से सचिव, फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) को निम्नलिखित पते पर आवेदन भेजेंगे :

सचिव (एसएसीएफए), डब्ल्यूपीसी स्कंध,
संचार मंत्रालय,
दूरसंचार विभाग,
संचार भवन,
नई दिल्ली-110001.

व्याख्या : फ्रीक्वेंसी आबंटन और अन्य संबधित मुद्दों/विषयों में समन्वय के संबंध में विषयों पर बातचीत करने के लिए संचार मंत्रालय में एसएसीएफए एक शीर्ष निकाय है। साइट निकासी प्रमाण पत्र से अभिप्राय मुख्य बेतार प्रयोक्ताओं के करार से है जो कि अन्य रेडियो सिस्टम वायु जोखिमों के साथ तुलना की दृष्टि से प्रस्तावित फीक्स्ड एंटीना की अवस्थिति के संबंध में है। इसके लिए अंतर-विभागीय समन्वय की जरूरत है और यह एक अंतर्गत प्रक्रिया है। आमतौर पर साइट निकासी प्रमाण पत्र प्रक्रिया में एंटीना/मास्ट की संस्थापना और ऊंचाई की प्रकृति के आधार पर दो से छह महीने लगते हैं।

27.4 विभिन्न प्वाइंट टू प्वाइंट रेडियो लिंक की स्थापना के लिए विभिन्न एजेंसियों को चिन्हित फ्रीक्वेंसी बैंड, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना (इसके पश्चात एनएफएपी-2002 कहलाएगी) में दिए गए हैं। केवल बैंड का संकेत ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की गारंटी नहीं है, इसे मामला दर मामला आधार पर समन्वित किया जाएगा।

27.5 लाइसेंसधारी रेडियों स्पेक्ट्रम के अन्य प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के लिए कष्टकारक अंतरावरोधन का कारण नहीं बनेगा अथवा कारण की इजाजत नहीं देगा। अन्य प्रयोक्ताओं के लिए कष्टकारक अंतरावरोधन को समाप्त करने के लिए लाइसेंसधारी सरकार द्वारा जारी सभी अनुदेशों और आदेशों का पालन करेगा।

शब्दों/परिभाषाओं की व्याख्या

1. प्रयोज्य प्रणालियां : 'प्रयोज्य प्रणाली' से आशय प्रचालनात्मक/तकनीकी तथा गुणवत्ता संबंधी जरूरतों और लाइसेंस करार के अन्य निबंधन एवं शर्तों के अनुसार एनालॉग/डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा प्रदान करने के लिए लगाए गए सभी आवश्यक उपस्कर/उप-प्रणालियां।

2. बीएसएनएल से आशय भारत संचार निगम लिमिटेड एक दूरसंचार सेवा प्रदाता और अथवा इसके उत्तराधिकारियों से है।

3. संपर्कसाध्य प्रणाली से आशय ऐसी दूरसंचार प्रणाली से है जिसे सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस के तहत प्राधिकृत किया जाता है और प्रयोज्य प्रणाली से जोड़े जाने के लिए प्राधिकृत होती है।

4. डीओटी से आशय दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से है।

5. प्रभावी तारीख : प्रभावी तारीख वह तारीख है जिस दिन लाइसेंस करार पर पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। यह लाइसेंस इसकी प्रभावी तारीख से लागू हो जाता है।

6. किसी स्थान से संबंधित आपातकालीन सेवाओं से आशय उस स्थान के लिए संबंधित सार्वजनिक, पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस तथा तटरक्षक सेवाओं से है।

7. इंजीनियरिंग : सेवा के विनिर्दिष्ट ग्रेड (जीओएस) को पूरा करने के लिए नेटवर्क संसाधन प्रदान करने की दृष्टि से परिमापीय नियमों का तकनीकी अनुप्रयोग और उसके परिणाम।

8. लाइसेंस : लाइसेंस से आशय भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 4 और भारतीय बेतार अधिनियम 1933 के तहत प्रदान किए गए अथवा इनके अधीन प्रदान किए जाने का प्रभाव रखने वाले लाइसेंस से है।

9. लाइसेंसधारक : एक ऐसी पंजीकृत भारतीय कंपनी/सरकारी एजेंसियां जिसे विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के भीतर मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

10. भारत के राष्ट्रपति की ओर से किसी प्राधिकृत व्यक्ति को 'लाइसेंसदाता' कहा जाएगा जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 और भारतीय बेतार अधिनियम 1993 के अंतर्गत जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया हो, लाइसेंस प्रदान करता हो।

11. संदेश से आशय ऐसी किसी बात से है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के उपखंड/पैरा (3) के तहत आती है।

12. 'मोबाइल स्टेशन' का अर्थ अविनिर्दिष्ट बिंदुओं पर गति में अथवा ठहरावों के दौरान प्रयुक्त किया जाने वाला मोबाइल सेवा का स्टेशन है।

13. एमटीएनएल से आशय महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से है।

14. प्रचालक का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे संबंधित संपर्क साध्य प्रणाली को चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

15. कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग लाइसेंस का तात्पर्य उन नेटवर्कों से संबंधित लाइसेंस से है जिनमें उपस्कर और सुविधाओं पर स्वामित्व और उनका प्रचालन स्वयं लाइसेंसधारक के पास अपने प्रयोग के लिए होता है और इसमें तीसरे पक्ष का स्वामित्व और सेवाओं का प्रावधान तीसरे पक्ष द्वारा अथवा के लिए शामिल नहीं होता।

16. 'पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क' (पीएसटीएन) का अर्थ एक स्थिर विनिर्दिष्ट स्विच्ड पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क है जो आम जनता के लिए एक द्वि-मार्गीय स्विच्ड दूरसंचार सेवा है।

17. 'पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन)' का अर्थ स्थल आधारित मोबाइल नेटवर्क है उदाहरण के लिए गैर विशिष्ट आधार पर लाइसेंसदाता से प्राप्त लाइसेंस के तहत देश के भीतर प्रचालित की जा रही सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा।

18. सेवा क्षेत्र : इस करार में जुड़ी हुई अनुसूची-। में यथा परिभाषित सेवा क्षेत्र।

19. 'सेवाएं' अथवा 'सेवा' का अर्थ है मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा जो निम्नानुसार परिभाषित है :

(क) एक द्विमार्गी लैंड मोबाइल सेवा जिसमें प्रयोक्ता प्रयुक्त प्रणाली को आवंटित एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी बैंड में किसी पूल में से रेडियो फ्रीक्वेंसियों के एक युग्म के माध्यम से आपस में संपर्क करते हैं और
(ख) कॉल अनुरोध करने पर फ्रीक्वेंसियों का एक युग्म आवंटित किया जाता है और कॉल के समाप्त होने पर पूल को वापस कर दिया जाता है और
(ग) सपंर्क प्रायः रिपीटर स्टेशन (बेस स्टेशन भी कहलाता है) के माध्यम से होता है। प्रयोक्ता को उक्त प्रणाली द्वारा एक बार चैनल (फ्रीक्वेंसियों का युग्म) आवंटित किए जाने के बाद, कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

20. टेलीफोन का अर्थ दूरसंचार साधनों में एक उपकरण जो प्रयोज्य प्रणाली के साथ जोड़ने पर उस प्रणाली द्वारा भेजे गए अथवा भेजे जाने वाले निर्बाध समकालीक द्विमार्गी समभाषण को प्रेषित करने और प्राप्त करने के योग्य है।

21. 'ट्राई' का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत गठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है।

22. प्रयोक्ता टर्मिनल अथवा मोबाइल टर्मिनल जो हैंडसेट या मोबाइल स्टेशन भी कहलाता है, का तात्पर्य लाइसेंसधारक द्वारा प्रदत्त कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त उपस्कर से है ।

23. 'वीएसएनएल' का अर्थ विदेश संचार निगम लिमिटेड है।

24. 'डब्ल्यूपीसी' का अर्थ संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार का बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध है।

वित्तीय बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति
तार प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए

भारत के राष्ट्रपति तार प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए, (जिन्हें इसके बाद 'प्राधिकारी' कहा गया है) द्वारा ....सेवा क्षेत्र (सेवा क्षेत्र का नाम) में कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा(सीएमआरटीएस) (जिसे इसके बाद सेवा कहा गया है) की स्थापना, रख-रखाव और उसके प्रचालन के लिए.........................के मैसर्स..............................जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारक कहा गया है, को दिनांक ....के लाइसेंस सं0............................(जिसे इसके बाद 'लाइसेंस' कहा गया है) के अनुसरण में लाइसेंस प्रदान किए जाने की सहमति प्रदान किए जाने के मद्देनजर उक्त लाइसेंस में अंतर्निहित निबंधनों एवं शर्तों पर, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त लाइसेंस के तहत **लाइसेंसधारक** द्वारा भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित उक्त लाइसेंसशुल्क तथा ऐसे अन्य शुल्क अथवा प्रभारों के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में...................................रु0(शब्दों में)तक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है, हम......................(बैंक के नाम और पते तथा अन्य विवरणों का उल्लेख करें) (जिसे इसके बाद 'बैंक कहा गया है) **लाइसेंसधारक** के अनुरोध पर एतद्द्वारा प्राधिकारी को अपरिवर्तनीय और अप्रतिबंधित रूप से गांरटी देते हैं कि **लाइसेंसधारक** प्राधिकारी को लाइसेंस शुल्क और अन्य प्रभारों सहित, किंतु यहीं तक सीमित नहीं, सभी देय राशियों का भुगतान करेगा।

2. हम, बैंक, एतद्द्वारा इस गारंटी की अवधि बढ़ाने अथवा लाइसेंस करार के निबंधनों के अनुसार मौजूदा गारंटी के बदले नई गारंटी दिए जाने में **लाइसेंसधारक** की असफलता के कारण प्राधिकारी को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति अथवा प्राधिकारी को होने वाली या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए लाइसेंस में निर्धारित अवधियों के भीतर उपर्युक्त सभी शुल्कों, बकायों और प्रभारों अथवा इनके किसी भाग का प्राधिकारी को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो.............रु0 (..........................रुपये) मात्र से अधिक न हो।

3. हम, बैंक, एतद्द्वारा मात्र प्रतिभूति के रूप में ही नहीं बल्कि मुख्य आभारी के रूप में प्राधिकारी को मांग पर तुरंत और बिना विलंब के ऐसी राशि जो......................रु0 (..............रुपये) मात्र से अधिक न हो, का भुगतान करने का वचन देते हैं और यह भी उल्लेख करते हैं कि दावा की गई यह राशि उक्त लाइसेंस के निबंधनों के अनुसरण में लाइसेंसधारक द्वारा शुल्क या प्रभारों या इनके किसी भाग का भुगतान नहीं किए जाने और अथवा लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस की किसी भी अनुबंध व शर्त के किसी रूप में उल्लंघन के कारण है, जो किसी अन्य उपाय के लिए लाइसेंसदाता (प्राधिकारी) के अधिकारों के पक्षपात के बिना है।

4. हम, बैंक, एतद्द्वारा इस बात की भी घोषणा करते हैं और सहमति भी देते हैं कि क्या लाइसेंसधारक उक्त लाइसेंस के तहत देय उक्त लाइसेंस शुल्क या किसी अन्य शुल्क या प्रभार या इनके किसी भाग का भुगतान करने में असफल रहा है, इस बारे में प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके तहत बैंक द्वारा प्राधिकारी को देय राशि अंतिम होगी और हम पर बाध्यकारी होगी।

5. हम, बैंक, एतद्द्वारा इस बात की भी घोषणा करते हैं और सहमति देते हैं कि इसमें

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से .... की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी और यह उक्त लाइसेंस के तहत और प्राधिकारी को देय सभी राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने और उसके दावों का निपटान किए जाने अथवा उनका निष्पादन किए जाने अथवा प्राधिकारी के इस बात से संतुष्ट हो जाने तक प्रवर्तनीय रहेगा कि उक्त **लाइसेंसधारक** द्वारा उक्त लाइसेंस के अनुबंध व शर्तों का पालन समुचित रूप से किया गया है और तदनुसार गारंटी का निष्पादन कर दिया गया है।

(ख) प्राधिकारी को हमारी सहमति के बिना और यहां नीचे दिए गए हमारे दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना उक्त **लाइसेंस** के किसी निबंधन अथवा शर्तों में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त **लाइसेंसधारक** द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा किसी समय को मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा उक्त **लाइसेंसधारक** के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त **लाइसेंस** से संबंधित किन्हीं निबंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने अथवा उक्त लाइसेंसधारक

के लिए समयावधि बढ़ाए जाने के कारण से अथवा प्राधिकारी की ओर से छूट दिए जाने अथवा चूक हो जाने अथवा प्राधिकारी द्वारा उक्त **लाइसेंसधारक** से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभूति के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) **लाइसेंसधारक** के विरूद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे दायित्व हमारे द्वारा अथवा **लाइसेंसधारक** द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

6. हम, **बैंक** यह वचन देते हैं कि हम इस गारंटी के लागू रहने की अवधि के दौरान प्राधिकारी की लिखित रूप में पहले से ली गई सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे।

7. उपर्युक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, गारंटी के तहत, हमारी देयता..............रु0 तक सीमित रहेगी और हमारी गारंटी इसकी तारीख से लेकर................वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इस गारंटी के तहत, जब तक इस तारीख अर्थात् ....तक हमसे लिखित रुप में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता, इस गारंटी के तहत आपके समस्त अधिकार जब्त हो जाएंगे और हम उसके तहत अपने समस्त दायित्वों से स्वतंत्र और मुक्त हो जाएंगे।

दिनांक...................................दिन.......................................कृते......................................

(बैंक का नाम)

साक्षी :

1..
....
....

2..
....
....

625

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
सीएस प्रकोष्ठ)

संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

****

एनालॉग/डिजीटल प्रौद्योगिकी में कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (सीएमआरटीएस) के प्रचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन।

(कृपया इस फार्म को भरने से पहले दिशानिर्देशों और मसौदा लाइसेंस करार को सावधानी पूर्वक पढ़ ले) आवेदन पत्र में हर एक बिन्दू पर पूरी सूचना दी जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कागज जोड़े जा सकते हैं। शर्तयुक्त विवरणों वाले अपूर्ण आवेदन तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

1. आवेदक कम्पनी का नाम ----------------------------

----

2. सेवा क्षेत्र ----------------------------
(प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाए) ----------------------------
----

3. अन्य सेवा क्षेत्र का नाम जिसके लिए पृथक रूप से आवेदन प्रस्तुत किया गया है (आवश्यकता पड़ने पर पृथक कागज संलग्न करें)
1.----------------------------
2.----------------------------
3.----------------------------

4. डाक का पूरा पता और टेलीफोन/फैक्स नम्बर
(i) निगमित कार्यालय ----------------------------
(ii) पंजीकृत कार्यालय ----------------------------

5. प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति का नाम, उसका पदनाम और टेलीफोन/फैक्स नम्बर ----------------------------
----

6. कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित पंजीकरण प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति (कृपया अनुबंध-I के रूप में संलग्न करें) ----------------------------
----

7. कम्पनी के प्रवर्तक/साझेदार (इक्विटीधारिता का ब्यौरा)

क्र.सं.	प्रवर्तक/साझेदार का नाम	भारतीय/विदेशी	इक्विटी %

विदेशी इक्विटी भागीदारी यदि कोई हो, 100% इक्विटी का पूर्ण ब्योरा दिया जाना चाहिए)

8. प्रस्तावित सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से तकनीकी प्रस्ताव का ब्यौरा (ब्यौरा अनुबंध-II के रूप में संलग्न)

626

9. कम्पनी और इसके प्रवर्तकों के बीच, प्रवर्तकों (विदेशी साझेदार, यदि कोई हो, सहित) के बीच करार की अधिप्रमाणित प्रतियां
(कृपया अनुबंध-III के रूप में संलग्न करें)

10. विदेशी सहयोग की शर्तों के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की अधिप्रमाणित प्रति या प्रस्तुत करने के प्रमाण के साथ इस सम्बन्ध में एसआईए/सरकार को प्रस्तुत आवेदन की प्रति
(कृपया अनुबंध-IV के रूप में सलंग्न करें)

11. आवेदन की प्रस्तुती का तारीख को वैध आयकर बेबाकी प्रमाण-पत्र
(कृपया अनुबंध-V के रूप में संलग्न करें)

12. कम्पनी और इसके प्रवर्तक/साझेदार अथवा सम्बद्ध/सहयोगी कम्पनियों यदि कोई हो, द्वारा धारित दूरसंचार सेवा लाइसेंसों की सूची और उनकी वर्तमान स्थिति जिनमें इन लाइसेंसों के लिए बेबाकी प्रमाण-पत्र शामिल हैं। (आवश्यकता पड़ने पर, पृथक कागज संलग्न करें)

(i) --

(ii) --

13 निदेशक मंडल का प्रस्ताव/अन्य प्रमाण कि आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है.।
(कृपया अनुबंध-VI के रूप में संलग्न करें)

14. प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए डिमांड ड्राफ्टः

(i)	संख्या और तारीख	--------------------------
(ii)	राशि	20 हजार रूपये केवल
(iii)	बैंक का नाम पूरे पते के साथ (पृथक लिफाफे में डिमांड ड्राफ्ट रखें और उसे आवेदन के साथ नत्थी करें)	....

15. कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी --------------------------

(i)	संख्या एवं तारीख	--------------------------
(ii)	राशि	--------------------------
(iii)	तक वैध (तारीख)	--------------------------
(iv)	बैंक का नाम और पूरा पता तथा टेलीफोन/फैक्स नम्बर	--------------------------

(अलग लिफाफे में रखें तथा आवेदन के साथ नत्थी करें)

प्रमाण-पत्र

1. मैं एतद्द्वारा अधिप्रमाणित करता हूँ कि मैनें कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (सीएमआरटीएस) पर दिशानिर्देशों और मसौदा लाइसेंस करार का सावधानी-पूर्वक अध्ययन किया है। मैं उसमें निहित निबंधन और शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करता हूँ।

2. मुझे जानकारी है कि यदि यह आवेदन किसी मामले में अपूर्ण पाया जाता है या इसमें शर्तयुक्त अनुपालन है या प्रोसेसिंग शुल्क और/अथवा अपेक्षित बैंक गारंटी नहीं है तो इसे तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3. मुझे जानकारी है कि प्रोसेसिंग शुल्क लौटाया नहीं जाएगा भले ही मुझे लाइसेंस दिया जाता है या नहीं।

4. मैं लाइसेंस करार, जिसका एक मसौदा मुझे दिया गया है, पर मुझे संसूचित निर्धारित समय के भीतर हस्ताक्षर करने का वचन देता हूँ जिसके न होने पर मेरा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और प्रोसेसिंग शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

5. मुझे जानकारी है कि उक्त आवेदन और मुझे दिए गए लाइसेंस से सम्बन्धित सभी मामले केवल दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) के क्षेत्राधिकार के अध्ययधीन होंगे।

6. मुझे जानकारी है कि ऐसी कम्पनियों, जो भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत प्रदत्त अन्य दूरसंचार सेवा लाइसेंसों के सम्बन्ध में संविदात्मक दायित्वों को कार्यान्वित करने में विफल रही हैं, को कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (सीएमआरटीएस) नहीं प्रदान किए जाएंगे और उनसे सम्बद्ध या उनकी सहयोगी कम्पनियां भी पात्र नहीं होंगी।

7. मैं अधिप्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र की मद 12 में उल्लिखित कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी ने भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत प्रदान लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है।

8. मुझे जानकारी है कि यदि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिया गया कोई प्रमाण या प्रस्तुत की गई कोई सूचना किसी समय गलत पायी जाती है तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस आवेदन के आधार पर दिया गया कोई लाइसेंस निरस्त हो जाएगा।

तारीख
स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का हस्ताक्षर एवं नाम
(कम्पनी की मुहर)

मेसर्स ------------------------------
की ओर से
श्री ---------------------------------
द्वारा जीपीए धारक, दिनांक ------------------
निदेशक मंडल द्वारा पारित ----------
दिनांक...........की संकल्प सं0..............के अनुसार निष्पादित।